

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक-39/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-20.06.2023

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 329/गोपनीय/2022/दो-3-1/2022, जबलपुर दिनांक 31.03.2022 के द्वारा तहसील देवसर से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर का स्थापनांतरण हो जाने से तब से वर्तमान तक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर की पदस्थापना नही होने के कारण, देवसर न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरणों की सुनवाई के प्रयोजन से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्यालय से जारी कार्य विभाजन पत्रक, विविध आदेश क्रमांक 2, दिनांक 17.01.2023 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन आगामी आदेश तक के लिए किया जाता है:-

सरल क्रमांक 11 (श्रीमती प्रितांजली सिंह चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढन) के कॉलम क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 1 के पश्चात् क्रमांक "2" निम्नानुसार नवीन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर के क्षेत्राधिकार वाले) समस्त प्रकरण”

उक्त संशोधित आदेश, आदेश दिनांक से ही प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक-916/एक-5-1/2010

सिंगरौली, दिनांक-20.06.2023

1. प्रथम अतिरिक्त/प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बैढन/देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

o/c